Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में गैरइरादतन हत्या करने के आरोपी अरूण को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 10 वर्ष का कारावास व 2.25 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2021 में अभियुक्त अरूण पुत्र श्रीपाल निवासी ग्राम मीतली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा गैरइरादतन हत्या की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 184/21 धारा 147/148/504/506/323/149/324/304(2)/307 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 10.05.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त को धारा 304(2) भादवि में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास व 2.25 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice   baghpatpolice   Baghpat Police

प्रेस नोट

थाना खेकडा   दिनाँक- 10.05.2024

थाना खेकडा पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राजेन्द्र पुत्र घीसाराम निवासी ग्राम चिकमेबरपुर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 श्री सुरेश सिंह थाना खेकडा।